संख्या 31-3-1974 में 1.67 लाख से बढ़कर 31-3-1978 को 2.87 लाख हो गई, जबकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना समाप्त हुई।

(ग) और (घ). नयी योजना 1980-85 सूत्रीकरण की अवस्था में है तथा रोजगार संबंधी योजनाओं के तत्व तथा सम्बद्ध नीति पहलुओं की इस सूत्रीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में जांच की जाएगी।

विवरण

राजस्थान में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या —1971

व्यक्तियों के वर्ग—अशिक्षित/पढ़े-लिखे/प्राप्त शिक्षा का स्तर	व्यक्तियों की संख्या लाखों में
1. अशिक्षित . . .	208.52
2. पढ़े-लिखे तथा शिक्षित व्यक्ति .	49.14
*(i) पढ़े-लिखे (शैक्षिक स्तर के बिना) . .	22.77
(ii) प्राथमिक स्तर शिक्षा .	13.24
(iii) माध्यमिक स्तर शिक्षा .	6.01
(iv) मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्डरी और समकक्ष तथा शिक्षा के उच्च स्तर .	7.12

*ऐसे शैक्षिक स्तर के आंकड़े शामिल हैं जो वर्गीकरणीय नहीं हैं।

हज यात्रियों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या

3766. **श्री भीखा भाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुसलमानों को हज यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 के दौरान सरकार को कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें यात्रा करने की अनुमति मांगी गई थी और कितने व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों पर कब तक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) हज के लिए आवेदन-पत्र हज समिति, बम्बई द्वारा मांगे जाते हैं जो हज समिति अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है और जिसे हज तथा जियारत के लिए प्रबंध करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आवेदन के लिए पहले सार्वजनिक घोषणा की जाती है जिसमें तीर्थयात्रियों की संख्या बताई जाती है जिनके लिए, सरकार यथोचित विचार के बाद, अपेक्षित विदेशी-मुद्रा देने का निर्णय करती है। चूंकि आवेदन-पत्रों की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या से सामान्यत: अधिक होती है जिनके लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाती है, इसलिए राज्यवार कुर्रा (लाटरी) निकाला जाता है। सीटों का राज्यवार आवंटन इनकी वहां की विगत जनगणना में दिखाई गई मुस्लिम आबादी के अनुपात में किया जाता है।

हज वर्ष 1979-80 के दौरान हज समिति को 37,854 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 19,975 व्यक्तियों का कुर्रा के आधार पर चयन किया गया जो हज करने चले गए।

(ग) 1979-80 के लिए कुर्रा मई, 1979 में निकाला गया था और उसी वर्ष अक्तूबर में ये लोग हज के लिए चले गए थे। इसलिए पिछले वर्ष के असफल आवेदकों के मामले पर इस समय विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इन व्यक्तियों को 1980 के हज के लिए बम्बई में 5 जून को हुए कुर्रे में भाग लेने का अवसर दिया गया था।

रांची-लोहारडांगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3767. **श्री शिव प्रसाद साहु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची लोहारडांगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और लाइन को कब तक बदल दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). रांची-लोहारडागा छोटी लाइन (69 कि०मी०) को बड़ी लाइन में बदलने के लिए जुलाई, 1975 में एक यातायात सर्वेक्षण

किया गया था और सर्वेक्षण से पता लगा था कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी क्योंकि इस पर 4.84 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश अपेक्षित है, केवल 6.96 प्रतिशत (डी० सी० एफ०) वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होगा जबकि न्यूनतम प्रतिफल 10 प्रतिशत निर्धारित है ।

इस समय इस छोटी लाइन के आमान-परिवर्तन पर लगभग 7 करोड़ रुपये लागत आयेगी । इस परियोजना के अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की तंगी के कारण इस बारे में आगे कार्यवाही नहीं की गयी ।

Madras Port Trust's tender for procurement of Container Handling Equipment

3768. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently Madras Port Trust issued Tender No. TS/3/80 EME for procurement of container handling equipment, if so, the details thereof;

(b) whether Government are aware that the name of Sealand Company which owns Sealand containers has been mentioned in the tender notice;

(c) if so, whether it amounts to giving publicity to the products of a private company while inviting quotations only for their brand; and

(d) the action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). Yes. Global tenders were invited for Top Lift Trucks and Tyre-mounted Transtainers with the specification that the equipment should be capable of handling ISO 20 ft. ISO 40 ft. and Sealand Containers.

(c) No. Sealand Company are not manufacturers of container handling equipment.

(d) Does not arise.

Name and Number of Posts without Recruitment Rules

3769. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) the designations and number of posts in his Ministry for which recruitment rules have not been framed so far; and

(b) how many of such posts have been filled without the recruitment rules and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Road Communication Schemes and Programmes in Tribal Sub-Plan Areas

3770. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the net-work of road communication schemes and programmes prepared by his Ministry in tribal sub-plan areas, State-wise; in Sixth Plan;

(b) the amount earmarked by his Ministry for tribal sub-plan areas in Sixth Plan and released to the States for tribal areas road programmes; and

(c) road communication policy adopted by his Ministry for tribal areas, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). Central Sector Roads